न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 87 / 2020

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
अमियादेवी पत्नी श्री प्रतापराम जाति पुरोहित निवासी फुंगणी तहसील व जिला सिरोही		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री दिलीप राजपुरोहित
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश दिनांक 21–12 –2020

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राज अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे 4–9–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि तंवरी पटवार हल्का तंवरी तहसील व जिला सिरोही मे प्रार्थीया के नाम की कृषि आराजी जमा संवत 2071 से 2074 के नया खाता नंबर 21 व पुराना खाता नंबर 20 खसरा नंबर 28 रकब 2400 हेक्टेयर की आई हुई है। वर्णित कृषि आराजी प्रार्थीया के कब्जे काश्त व मालिकाना अधिकार की है एवं प्रार्थीया उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त करती आ रही है। व कृषि आराजी की वर्तमान जमाबंदी व अन्य राजस्व रेकर्ड मे काश्तकार के नाम के कॉलम मे प्रार्थ का नाम "उमीया पत्नी प्रतापजी" अंकित है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक व सम्मानजनक "अमियादेवी पत्नी प्रतापराम " है। उक्त वर्णित कृषि आराजी मे प्रार्थीया का नाम राजस्व रे अनुसार खातेदार "उमीया पत्नी प्रतापजी" दर्ज है जो कि नामान्तकरण दर्ज के समय रा कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार "अमियादेवी पत्नी प्रतापराम" के स्थान पर गलत "उमीया पत्नी प्रतापजी" दर्ज कर दिया है। प्रार्थीया ग्रामीण परिवेश मे निवासरत होने व निर होने के कारण उस समय राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थीया के गलत नाम का अंकन किये जाने जानकारी प्रार्थीया को नही चल सकी तथा आज तक प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिपूर्ण चला आ रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित कृषि आर की राजस्व जमाबंदी व राजस्व रेकर्ड मे काश्तकार के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम "उ पत्नी प्रतापजी के स्थान पर प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम "अमियादेवी पत्नी प्रतापराम शुद्विकरण कर त्रुटि दुरूस्ती करने के आदेश फरमावें।

प्राथी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित खसरा नंबर 28 जमाबंदी संवत 2071–2074 ,खसरा नंबर 28 का नकशा ट्रेस ,खसरा नबर 864 ,865,व 866 जमाबंदी नकल ,ग्रामपंचायत फुंगणी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ,प्रार्थीया का भामाशाह कार्ड प्रार्थीया पेनकार्ड ,प्रार्थीया राशनकार्ड ,प्रार्थीया का जॉब कार्ड प्रतियों अवलोकन कर उस पर मनन करने पश्चात प्रार्थनापत्र मे [illegible] न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से दि 4–9–2020 को दर्ज रजिस्टर कर [illegible] संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस ज किया गया जिस पर [illegible] न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मि किया गया । विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 4–12–2020 को गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:32 IST
Reason: SelfAttested

विचाराधीन प्रकरण मे इस न्यायालय मे दिनांक 4–[illegible]0 को ही न्यायालय उपस्थित वकील प्रार्थी तथा पैरोकार सरकार ना.तहसिरोही द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड आधार पर सीधी अंतिम बहस करने का निवेदन करने से वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार विचाराधीन प्रा.पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार ना.तहसीलदार सिरोही की अंतिम ब पर मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक

अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह कि पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी तहसील व जिला सिरोही की जम संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर नया 21 के खसरा नंबर 28 रकबा 2.2400 हेक्टेयर की भूमि मे प्रार्थीया का काश्तकार के कॉलम मे उमीया पत्नि प्रतापजी हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित फुगणी खातेदार के रूप मे दर्ज है। जो कि गलत है जबकि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेज अ कार्ड ,पैनकार्डग ,राशनकार्ड भामाशाह कार्ड व प्रार्थीया के ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी के जम संवत 2071 से 2074 के नया खाता नंबर 366 खसरा नंबर 864 ,865 ,866 कुल 3 कुल रकब 5600 हेक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी मे सहखातेदार के रूप मे प्रार्थीया अमियादेवी पत्नि प्रतापराम सही दर्ज है। जबकि राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने राजस्व जमाबंदी संधारण करते समय भूलवंश प्रार्थीया का गलत नाम उमीया पत्नि प्रतापराम दर्ज कर है प्रार्थीया के उक्त नाम त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की तारीफ मे आता है जिसे दुरूस्त किया न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान होने संभावना है तथा प्रार्थी राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से भी वंचित होगा । अतः उपरोक्त के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट का विरूद्व स्टेट तह.सि का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी) को अ दिया जाता है कि ग्राम तंवरी पटवार हल्का तंवरी तहसील सिरोही की वर्तमान जमाबंदी के संख्या नया 21 के खसरा नंबर 28 रकबा 2.2400 हेक्टेयर मे जमाबंदी के कॉलम काश्तकार के के कॉलम मे सहवन से दर्ज गलत नाम "उमीया पतनी प्रतापजी" के स्थान पर प्रार्थीया का स वास्तविक सम्मानजनक नाम "अमियादेवी पत्नी प्रतापराम" का शुद्वि/दर्ज कर जमाबंदी अपडेट पालना से न्यायालय को अवगत करावें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओं.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

निर्णय आज दिनांक 21–12–2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदनाम तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:58:32 IST
Reason: SelfAttested